न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः— लक्ष्मण सिं
आई

प्रकरण संख्याः— 31 / 2023

एयू स्मॉल फाईनेंस बैंक लि0 (पूर्व नाम एयू फाईनंसर्स (इण्डिया)लि0) रजि. कार्यालय 19—ए, धुलेश्वर अजमेर रोड, जयपुर—302001, राज. जरिये प्राधिकृत अधिकारी महिपाल सिंह पुत्र छितरमल उम्र 38 स

—— प्रार्थी बैंक

बनाम

सज्जन कुमार भोल्याण पुत्र गुलझारीलाल, उम्र 56 साल, जाति नाई, निवासी वार्ड नं0 16, कस्बा f तहसील बुहाना, जिला झुंझुनूं।

—— अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अ0धारा 14 सिक्यूरिटाईजेशन एक्ट 2002

———

उपस्थितः—

1. एडवोकट श्री मनोज कुमार वर्मा— प्रार्थी बैंक की ओर से उपस्थित।
2. अप्रार्थी सं0 1 बावजूद नोटिस तामिल अनुपस्थित।

आदेश

दिनांक 27.0

प्रार्थी एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि0 के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि0 द्वारा ऋणी / अप्रार्थीगण के पक्ष मे आवेदन पर केडिट सुविधा / वित्तीय सुविधा / टर्म लोन (बिजनेस / कंस्ट्रक्शन लोन) के पेटे 3,00,0 रूपये अक्षरे तीन लाख रूपये की ऋण सुविधा खाता सं0 L9001060822631213 दिनांक 21.12.2020 की गयी थी। इस हेतु ऋणी / जमानतदारों ने आवश्यक दस्तावेज निष्पादित किये थे। उक्त ऋण प्रतिभूति करार के तहत निम्न प्रतिभूति आस्ति से रक्षित है— अचल संपत्ति आबादी भूमि का विकय (पट्टा) कमांक 29 एट वार्ड नं0 16, कस्बा सिंघाना, ग्राम पंचायत सिंघाना, पंचायत समिति व त बुहाना, जिला झुंझुनूं नपति 138.88 Sq.Yrd. (वर्गगज) अप्रार्थी सज्जन कुमार के मालिकाना हक की जिसकी चौहदी निम्न प्रकार से है—

पूरब	मकान रमेशचन्द्र / मकान अजय	पश्चिम	रास्ता पारिवारिक खूटी का / खाली जमीन संतोष
उत्तर	मकान कमल वगैरह	दक्षिण	रास्ता

अप्रार्थीगण के द्वारा समय पर ऋण व ब्याज चुकाने में चूक करने पर ऋणी के खाते को प्रार्थी बै दिनांक 08.10.2022 को (NPA) अनर्जक परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया था। प्रार्थ द्वारा मांग नोटिस दिनांक 10.10.2022 द्वारा वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रर्वतन एक्ट 2002 के तहत जारी कर 60 दिवस के बकाया ऋण 2,55,373 / रूपये अक्षरे दो लाख पिच्चपन हजार तीन सौ तिहत्तर रूपये मय ब्याज व खर्चा 08.10.2022 से भुगतान करने की मांग की। श्रीमान को उक्त अधिनियम की धारा 14 के तहत प्र आस्ति को अपने कब्जे / नियंत्रण में लेकर प्रतिभूति लेनदार बैंक को सुपर्द करने का अधिकार प्रा उचित मूल्य प्राप्त करने के लिए सम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्राप्त करना अति आवश्यक है, जिससे एक्ट की धारा 14 के तहत यह प्रार्थना पत्र श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत है। गिरवीकृत संपत्ति जो श्री क्षेत्राधिकार में अवस्थित है— आबादी भूमि का विकय विलेख (पट्टा) कमांक 29 एट वार्ड नं0 16, सिंघाना, ग्राम पंचायत सिंघाना, पंचायत समिति व तहसील बुहाना, जिला झुंझुनूं नपति 138.88 S (वर्गगज) अप्रार्थी सज्जन कुमार के मालिकाना हक की है एवं जिसकी चौहदी निम्न प्रकार से है—

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2023.03.29 16:53:49 IST
Reason: SelfAttested

पूरब	मकान रमेशचन्द्र / मकान अजय	पश्चिम	रास्ता पारिवारिक घटी का / खाली जमीन संतोष कु
उत्तर	मकान कमल वगैरह	दक्षिण	रास्ता पारिवारिक

उक्त गिरवीकृत संपत्ति पर आज दिनांक तक उक्त कार्यवाही करने के लिए किसी न्यायालय या अधि द्वारा रोक नही है। प्रार्थना पत्र अन्दर मियाद प्रस्तुत है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है गिरवीकृत सम्पत्ति को रहने वालो से खाली करवा कर भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलवाया जावें जि अधिनियम के प्रावधानानुसार सम्पत्ति से बकाया ऋण की वसूली की जा सके।

बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती हुये तर्क प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी बैंक का ऋण नही चुकाया गया है। अप्रार्थी को प्रार्थी द्वारा नियमानुसार एन0पी0ए0 घोषित किया जा चुका है। प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी को प्रि सम्पत्ति का कब्जा दिलवाये जाने का निवेदन किया। अतः प्रार्थी का प्रार्थना स्वीकार कर उप गिरवीकृत अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा बैंक को दिलवाया जावे जिससे अधिनियम के प्रावधा सम्पत्ति को बेचकर बकाया ऋण की वसूली की जा सके।

अप्रार्थी सं0 1 बावजूद नोटिस तामिल उपस्थित नही। अप्रार्थीगण सं0 1 के विरूद्ध एक कार्यवाही अमल मे लाई जाकर बहस सुनी गई।

हमने प्रार्थी एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि0 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व इस प्रार्थना पत्र के दस्तावेजात का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह जाहिर है कि अप्रार्थी अपने ऋण भुगतान करने में असफल रहें है व प्रार्थी एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि0 द्वारा अप्रार्थी / गारन्ट अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के पश्चात् भी अप्रार्थीगण प्रार्थी एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि0 की ऋण राशि का भुगतान नही किया गया है।

पत्रावली में शामिल दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर है कि अप्रार्थी अपने ऋण का भु करने में असफल रहें है व प्रार्थी एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि0 द्वारा अप्रार्थी / गारन्टर को अधिनिय धारा 13 (2) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थ स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि0 की ऋण राशि का भुगतान नही किया गया है। पत्रावली में शामिल दस्ता के अवलोकन से जाहिर है कि अप्रार्थीगण, प्रार्थी एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि0 के साथ हुये अनुब अनुसार ऋण राशि को चुकाने में विफल रहें है। अतः अप्रार्थीगण / ऋणी, गारन्टर को व्यक्तिक्रमी मान प्रार्थी एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि0 द्वारा प्रश्नगत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है सिक्योरिटाईजेशन एण्ड रिकन्स्ट्रकशन ऑफ फाइनेन्शियल एसेटस एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक इन्टरेस्ट एक्ट 2002 की धारा 14 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुये बंधक रखी गई संपत्ति आबादी भूमि का विक्रय विलेख (पट्टा) क्रमांक 29 ... वार्ड नं0 16 कस्बा सिंघाना, ग्राम प सिंघाना, पंचायत समिति व तहसील बुहाना, जिला झुंझुनूं नप... Sq.Yrd. (वर्गगज) जो कि सज्जन कुमार के मालिकाना हक की है का ... लि0 को जरिये र पुलिस थाना की इमदाद से प्राप्त किये ज... के आदेश दिये ... है। आदेश की प्रति जिला अधीक्षक, झुंझुनू को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जाती है कि प्रार्थी एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि खर्चे पर उनकी आवश्यकतानुसार चाहे जाने पर पुलिस सहायता उपलब्ध करावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2023.03.29 16:53:49 IST
Reason: SelfAttested

आदेश आज दिनांक **27.03.2023** को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल0एस0कुड़ी)
जिला कलक्टर
जिला मजिस्ट्रेट